ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-10* November- 2017
Innovation The Research Concept

मानव अधिकारों की जनचेतना में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

सारांश

मानव व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास लोककल्याणकारी राज्य की प्रथम प्राथमिकता है जिसके लिए मानव अधिकारों की चेतना अत्यंत आवश्यक है। मानव अधिकार मनुष्य के वे अधिकार है जो उसे जन्म से प्राप्त होते है और एक स्वतंत्र, समान एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक होते है। मानव अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में ही मानव अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनेक प्रयास किये गए। प्रस्तुत शोध पत्र में संयुक्त राष्ट्र के उन्हीं प्रयासों का अध्ययन एवं परीक्षण करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : अटलांटिक चार्टर 1941, सार्वभौमिक घोषणा पत्र, अंतर्राष्ट्रीय विधि, नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा, आर्थक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा, मानव अधिकार परिषद।

नेहा निरंजन
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान एवं
लोकप्रशासन विभाग,
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि.,
सागर, म.प्र.

प्रस्तावना

मानव अधिकार से तात्पर्य है मानव के वे अधिकार, जो मानव को जीवनयापन के लिए स्वतंत्र समान और सम्मानीय वातावरण उपलब्ध कराने की शर्त से जुड़ा है। यहाँ अधिकार, किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति की कानूनसम्मत या संविदासम्मत सुविधा, दावा या विशेषाधिकार है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ अधिकारों की रक्षा करती हैं। दोनों का अस्तित्व एक–दूसरे के बिना संभव नहीं। जहाँ कानून अधिकारों को मान्यता देता है वहाँ इन्हें लागू करने या इनकी अवहेलना पर नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था भी करता है। वस्तुतः अधिकार की संकल्पना एक जटिल एवं बहुअर्थी संकल्पना है। अमूमन, अन्य लोगों के साथ संबंध में अधिकार प्राप्त लोगों के लिए अधिकार एक उपलबिध के समान है। विधिक सिद्धान्तकार हाफेल्ड के अनुसार अधिकार को व्यक्ति के दाबे और कर्त्तव्य के परस्पर संवाद के रूप में देखा जा सकता है। उनके अनुसार ''अधिकार को अधिकार प्राप्त व्यक्ति के दावे के रूप में देखा जा सकता है इसका निहितार्थ है कि बदले में दूसरे लोगों का यह कर्त्तव्य है कि वह अधिकार प्राप्त व्यकित की मांग के दावे को स्वीकार करे।'' सामान्य शब्दों में, अधिकार विशेषाधिकार एवं शक्ति से भिन्न एक विचार है जो व्यक्ति के परस्पर सकारात्मक, मूल्य तटस्थ एवं सामान्य संबंध की अपेक्षा करता है। इस प्रकार अधिकार किसी व्यक्ति के वे दावे हैं जो समाज में दूसरे व्यक्तियों द्वारा स्वीकार्य किये जाते है।

सुभाष कश्यप ने मानवाधिकार की परिभाषा ऐसे मौलिक अधिकार के रूप में की है जो विश्व के प्रत्येक भाग में रहने वाले पुरूषों एवं महिलाओं को मनुष्य के रूप में जन्म लेने से ही प्राप्त होते हैं।

इस अर्थ में, मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं– उनकी जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता के आधार पर नहीं। ये अधिकार मानवीय गरिमा और उपयुक्त जीवन स्तर की न्यूनतम शर्तों को व्यक्त करते हैं। ये न तो अर्जित किए जा सकते हैं न ही वंशानुगत होते हैं और न ही किसी समझौते के माध्यम से निर्मित किए जा सकते हैं।

मानव होने के कारण अपने विकास के लिए व्यक्ति को जो आजादी चाहिए, जो वातावरण चाहिए उसके लिए मानवाधिकारों की चेतना अत्यंत आवश्यक है, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण, आतंकवाद, पूँजीवाद के इस काल में मानव अधिकारों के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि अब प्रश्न यह करना होगा कि इन मानव अधिकारों की प्राप्ति कैसे हो, इनका संरक्षण कैसे

किया जाए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ऐसे कौन–कौन से प्रयास किए गए हैं जो मानवाधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देते है?

अध्ययन का उद्देश्य

मानव अधिकारों की सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की समीक्षा एवं मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के विकास का प्रयास ।

मानव अधिकार की वंचना (हनन) ने वह पृष्ठभूमि तैयार की जो राष्ट्रों और राष्ट्रों के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के बीच राजनैतिक और सामाजिक तनाव, युद्ध और विरोध का कारण बने। मानव अधिकारों की वंचना, अच्छे जीवन की अधिक से अधिक अतिमहत्वपूर्ण मांगों को प्रेरित करती है अर्थात् मूलवैयक्तिक और सामुदायिक मूल्यों तक अधिक से अधिक पहुँच एवं व्यापक सहभागिता। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, विशेष रूप से नये और अकल्पनीय विध्वंस के नये–नये अस्त्रों का निर्माण अपने नागरिकों के बेहतर जीवनस्तर को सुनिश्चित करना एवं सार्वभौमिक परस्पर निर्भरता की आवश्यकता के कारण भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का महत्व बढ़ा है।

मानवाधिकारों का जन्म पृथ्वी पर मनुष्य के विकास के साथ ही हुआ क्योंकि इन अधिकारों के बिना न तो वह गरिमापूर्ण जीवनयापन कर सकता है और न ही अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास कर सकता है। यद्यपि विश्वयुद्ध से पूर्व तक मानव अधिकारों का मामला मुख्यतः राष्ट्रीय विषय माना जाता था लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलते शक्ति संतुलन में यह महसूस किया जाने लगा कि मानवाधिकारों की रक्षा सिर्फ उन राज्यों की चिंता का विषय नहीं है जहाँ इनका उल्लंघन होता है बल्कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करना समूची मानवता की चिंता का विषय है बल्कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में तो यह और भी आवश्यक है कि मानवाधिकारों के संरक्षण की जन चेतना का प्रचार–प्रसार किया जाए।

मानवाधिकारों की अवधारणा बहुत विस्तृत है इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार क्षेत्र ही नहीं आता बल्कि स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जीवन स्वास्थ्य, शिक्षा उचित पर्यावरण (वातावरण) से लेकर वे सभी दशाएं शामिल होती है जो व्यक्ति के जीवन के चहुंमुखी विकास के लिए आवश्यक है।

मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रमाण प्राचीन काल की बेवीलोनिया विधि (Babylonion law), असीरिया विधि (Assyrian Law) एवं भारत के वैदिक कालीन धर्म में पाये जाते हैं यद्यपि सभी धर्मों का आधार मानवतावादी है और मानवता के इसी उच्च धर्म ने व्यक्ति को स्वतंत्र और समृद्ध जीवन जीने के अधिकार की गारंटी की बात कही है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्, राष्ट्र संघ की प्रसंविदा में मानवाधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिए व्यापक प्रावधान नहीं थे मानव अधिकारों को संगठित रूप देने का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास 25 सितम्बर 1926 को दासता के विरूद्ध हुए विश्व सम्मेलन और 1929 को राज्य के विरूद्ध मानव के अधिकारों की घोषणा के माध्यम से किया गया है लेकिन फिर भी ये प्रयास बहुत व्यापक और सार्थक नहीं थे आवश्यकता थी एक ऐसे मंच की जहां छोटे–बड़े सभी राष्ट्रों के मानवाधिकारों के संरक्षण को संभव बनाया जा सके।

मानवीय जीवन का उच्चतम उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा की प्राप्ति रहा है, दो विश्व युद्धों के विनाश ने मानव जाति को विवश किया कि वह अपने विकास हेतु शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करे। इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास 12 जून 1941 को फ्रांस के सेंट जेम्स पैलेस में ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका के साथ–साथ अनेक यूरोपीय देशों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसे "लंदन घोषणा" के नाम से जाना जाता है जिसमें कहा गया कि– ''विश्व में स्थाई शांति का एकमात्र आधार स्वतंत्र लोगों का आपसी सहयोग है, जो आक्रमण के खतरे से मुक्त हो और जिससे सभी व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सके, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युद्ध तथा शांति दोनों में एक साथ एवं अन्य स्वतंत्र देशों के साथ कार्य करना होगा।'' इसके बाद अगस्त 1941 का अटलांटिक चार्टर, 1943 की मास्को घोषणा, डम्बरटन–ओक्स सम्मेलन 1944, याल्टा सम्मेलन 1945 और 25 अप्रैल 1945 का सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन वह मील का पत्थर (Mile Stone) बने जिनके ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति स्थापना की इमारत खड़ी की गई।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सैनफ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में संयुक्त राष्ट्र पत्र को अंगीकार किया गया इसमें मानवाधिकारों और स्वतंत्राओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य को प्राथमिकता दी गई यही वजह थी कि चार्टर में लगभग सात बार मानवाधिकार शब्द को शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया ''हम बुनियादी मानवाधिकारों एवं मानव स्वतंत्रताओं, व्यक्तियों की गरिमा एवं मूल्यों बड़े और छोटे सभी राष्ट्रों के पुरुषों एवं स्त्रियों के समान अधिकारों की पुनर्पुष्टि, न्याय एवं सामाजिक प्रगति के लिए कृतसंकल्पित है एवं संयुक्त राष्ट्र में शामिल देशों के लोग इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प करते है।'' इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र ही मानवाधिकारों का प्रावधान करता है। मानवाधिकारों की अभिवृद्धि एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित करके चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय विधि के उन्नतशील विकास का एक नया मार्ग खोला गया। यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज था जिसमें मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 1946 में श्रीमती रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रारूप तैयार किया गया जिसे सितम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपा गया प्रारूप में कुछ संशोधनों के बाद 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र अंगीकार किया गया। महासभा द्वारा मानवाधिकार के एक ऐसे व्यापक प्रतिमान को स्वीकृत किया गया जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्तर पर भी प्राप्त किया जा सके। मानवाधिकार के इस घोषणा पत्र पर प्रो. जॉन पी. हम्फ्रे ने लिखा– ''हमारे समय के चिंतन पर संयुक्त राष्ट्र के किसी

अन्य कानून का इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि इसका। इसमें सर्वोत्तम आकांक्षाएँ निहित एवं घोषित है संभव है कि यह इतिहास में मुख्य रूप से महान नैतिक सिद्धांतों के वक्तव्य के रूप में जीवित रहे। किसी भी अन्य राजनीतिक दस्तावेज या कानूनी उपकरण की तुलना में इसका प्रभाव अधिक गहरा और स्थायी है।''

10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया जिसके 30 अनुच्छेदों के अंतर्गत मानव के जीवन, स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर स्त्री–पुरुष समानता, शिक्षा सभी को शामिल करने का प्रयास किया गया साथ ही राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गई कि वे अपने–अपने संविधानों के माध्यम से मानवाधिकार संरक्षण के लिए कार्य करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मानवाधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया इसके अन्तर्गत–

1. चार्टर की उद्देशिका अपने प्रथम अनुच्छेद (1) में यह अभिकथन करती है कि ''संयुक्त राष्ट्र के लोग मूल मानव अधिकारों के प्रति, मानव की गरिमा और महत्व के प्रति, पुरुषों एवं स्त्रियों तथा बड़े और छोटे राष्ट्रों के समान अधिकारों के प्रति निष्ठा को पुनः अभियुक्त करने के लिए दृढ़ निश्चित है।''
2. अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 3 में वर्णित उद्देश्यों में से एक मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। इस प्रकार मानवाधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अधिकतम स्वतंत्रता तथा गरिमा प्राप्त करना है।
3. संयुक्त राष्ट्र के दो अंग– महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं में अभिवृद्धि का दायित्व सौंपा गया है। अनुच्छेद 13 द्वारा महासभा को मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना सभी के लिए अध्ययन करने तथा सिफारिश करने के लिए सशक्त किया गया। महासभा ने मानवाधिकारों से संबंधित मामलों पर विशेष समितियों का भी गठन किया है जो महासभा के सहायक अंग कहे जाते है।
4. अनुच्छेद 55 प्रावधान करता है कि संयुक्त राष्ट्र (i) उच्चतर जीवन स्तर, पूर्ण नियोजन और आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा (ii) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य विषयक और सम्बद्ध समस्याओं का हल तथा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग की अभिवृद्धि करेगा (iii) मूल वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना सभी के लिए मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति विश्वव्यापी आदर और उसके पालन की अभिवृद्धि करेगा।
5. अनुच्छेद 56, 62 और 68 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, आर्थिक और सामाजिक परिषद को मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने के विषय में अधिकार प्रदान करता हैं। मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर बढ़ाने के प्रयास करने, उनके पालन हेतु सिफारिशें करने तथा मानवधिकारों की अभिवृद्धि के लिए आयोगों और ऐसी अन्य इकाईयों को स्थापित करने का निर्देश देता है, जिसको वह अपने कार्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझे।

''चार्टर मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं की प्राप्ति एवं प्रेक्षण के प्रति समर्पित है। जब तक सभी पुरुष एवं महिलाओं के लिए हर जगह मूल, वंश, भाषा अथवा धर्म पर बिना ध्यान दिये हुए इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर लेते हैं विश्व में स्थायी शांति एवं सुरक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती।''

मानवाधिकार का विचार विकास की एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम है। सामाजिक समझौतावादी चिंतन के विकास से लेकर अब तक मानवाधिकार के विचार ने विकास एवं विस्तार का एक लंबा रास्ता तय किया है। वस्तुतः मानवीय संगठन के हर स्वरूप में शासकों द्वारा शासितों के शोषण की प्रवृति रही है। इसने लोगों के मानवाधिकार के संरक्षण एवं संवर्द्धन की आवश्यकता के तथ्य को उजागर किया। यही कारण है कि ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से मानवाधिकार के विचार के तत्व एवं सामाजिक क्रियाशीलता में परिवर्तन होते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार लंबे समय तक मानवाधिकार का मूल तत्व रहे, जबकि सामाजिक व आर्थिक अधिकार को बल मुख्यतः अमरीका की न्यू डील नीति एवं कई यूरोपीय देशों में लोक कल्याणोन्मुख मजदूर दल की सरकार की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में मिला। जबकि इसका वास्तविक स्वरूप समाजवादी अथवा साम्यवादी देशों के उदभव एवं द्वितीय विश्व–युद्धोपरांत नवोदित तृतीय विश्व के राष्ट्रों के संदर्भ में उभर कर सामने आया।

ऐसा तर्क दिया जाता है कि पाश्चात्य देशों में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना से मानवाधिकार के विचार को बल मिला। मानवाधिकार के विकास की पहली पीढ़ी के अधिकार के रूप में लोगों को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए जिनकी प्रकृति नकारात्मक रही, क्योंकि इनमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, इसमें दो प्रकार के अधिकार निहित थे– व्यक्तिगत अधिकार जिसमें जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, दासता व प्रताड़ना से सुरक्षा बलात देश निकाला से संरक्षण, एकांतता, विवाह, परिवार बसाने, बच्चों के अधिकार, इत्यादि शामिल थे, तथा दूसरे, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं राजनीतिक अधिकार, जिसमें सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में भागीदारी के अधिकार इत्यादि शामिल थे। इन अधिकारों को मुख्यतः शास्त्रीय मानवाधिकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये राज्य एवं व्यकित के परस्पर दायित्व के बारे में ज्यादा संवेदनशील नहीं हैं।

द्वितीय विश्व युद्धोपरांत एशिया एवं अफ्रीका में नये–नये राष्ट्र–राज्यों के उदय के फलस्वरूप मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अधिकारों को बल मिला तथा सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की पूर्व शर्त माना गया। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि स्वतंत्रता का

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-10* November- 2017
Innovation The Research Concept

अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, आने–जाने की स्वतंत्रता के अधिकार इत्यादि कभी भी वास्तविक नहीं हो सकते यदि व्यक्ति के पास काम पाने, शरण, भोजन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि के अधिकार के साथ–साथ शोषण के विरूद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकार उपलब्ध ना हों। मानवाधिकार के इस पहलू पर समाजवादी राज्यों के चिंतन का प्रभाव रहा है जिसने नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संबंधी पाश्चात्य धारणा को खोखली बताया क्योंकि यह व्यक्ति को सशक्त, सामर्थ्यवान एवं गरिमामयी जीवन उपलब्ध कराने का झूठा दावा करती है। इसके विपरीत, मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत राज्य पर यह सकारात्मक दायित्व डाला गया है कि वह सामान्य लोगों के खुशहाल एवं स्वायत्त जीवन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें समुचित सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराये।

मानवाधिकार की तीसरी पीढ़ी के अधिकारों का विकास वैयक्तिक संदर्भ के विरूद्ध सामूहिक संदर्भ को प्राथमिकता दिये जाने पर बल देने के परिणामस्वरूप हुआ। ऐसा महसूस किया गया कि विश्व के विभिन्न भागों में कई ऐसे समूह एवं समुदाय हैं जो अपने को दीनहीन, अवांछित एवं वंचित स्थिति में महसूस करते हैं, जिनकी आवश्यकता प्रणाली भिन्न हैं अतः उनके अधिकार की मांग भी भिन्न प्रकृति की हैं। फलतः मानवाधिकार के समर्थकों एवं दार्शनिकों ने इन समूहों के विशेषाधिकारों पर बल दिया। इसके विकास में समाजवादी चिंतन ने बड़ा योगदान दिया। तृतीय विश्व के समाजवादी एवं विकासशील देशों के विद्वानों ने सामूहिक अधिकार के संदर्भ में विकास का अधिकार, शांति एवं सुरक्षा का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों के अर्जन का अधिकार, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का अधिकार इत्यादि पर बल दिया। मौजूदा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र के सामूहिक अधिकार के रूप में पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अधिकार पर विशेष रूप से बल दिया गया। तीसरी पीढ़ी के अधिकारों के अंतर्गत समाज के दबे, कुचले, शोषित, प्रताड़ित, वंचित एवं हासिए पर रहे लोगों के अधिकारों पर बल दिया गया है। इसमें महिलाओं, बच्चों, अशक्त लोगों, शरणार्थियों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, भूमिहीनों एवं बंधुआ मजदूरों, असंगठित श्रमिकों, किसानों, कैदियों, विस्थापितों इत्यादि के अधिकार की मांगें भी शामिल हैं।

इसमें संदेह नहीं कि विश्व के कई देशों की विधिक प्रणाली में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विश्व के कई देशों ने अपनी संवैधानिक प्रणाली के अंतर्गत मानवाधिकार की सिथति को सुदृढ़ करने के लिए, उसके स्तर को ऊपर उठाने के लिए ठोस प्रयत्न किए हैं ताकि ना सिर्फ नागरिकों को, बल्कि विदेशियों के साथ भी तर्कसंगत, उचित एवं सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जा सके। इसके अलावा, विभिन्न देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों एवं परिषदों का गठन भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा सकते हैं जो मानवाधिकार के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु कटिबद्ध दिखते हैं। फिर भी विश्व के कई ऐसे देश हैं जो मानवाधिकार के मौजूदा विमर्श को या तो स्वीकार नहीं करते या वहां मानवाधिकार का स्तर काफी खराब रहा है। यह अभी भी एक अन्तर्राष्ट्रीय चुनौती के रूप में खड़ा है।

यद्यपि मानवाधिकार एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है लेकिन विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विधिक प्रणाली, उनकी विचारधाराओं तथा उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थितियों में भिन्नता के कारण इस अवधारणा को परिभाषित करना कठिन है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार समर्थन एवं संरक्षण के प्रयास

मानवाधिकारों के सम्मान में अभिवृद्धि एवं प्रोत्साहन करना संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है जिसमें मानवाधिकारों की अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव अधिकारों के सामान्य मानकों को निश्चित करना जबकि मानवाधिकारों के संरक्षण का अभिप्राय संयुक्त राष्ट्र की प्रवर्तन कार्यवाही से है। पिछले 70 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार की सुरक्षा एवं विकास में उल्लेखनीय कार्य किए गए है इसके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वप्रथम मानव अधिकार संबंधी जनचेतना के प्रयास किए गए, मानव अधिकार विधि का संहिताकरण किया गया, अनेक प्रसंविदाएँ एवं अभिसमय पारित किए गए, मानवाधिकार उल्लंघन की सूचनाओं को एकत्र करने और उनका निदान करने के लिए अनेक आयोग और समितियों का गठन किया गया जिनमें प्रमुख हैं–

1. मानव अधिकार परिषद – मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन पर उप आयोग।
2. मानव अधिकार उच्चायुक्त
3. सुरक्षा परिषद्
4. संयुक्त राष्ट्र महासभा की समितियाँ
5. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
6. मानव अधिकार हॉट लाइन
7. महिलाओं की प्रस्थिति पर आयोग

मानव अधिकार आयोग

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 68 के अधीन मानव अधिकारों की अभिवृद्धि के लिए आयोग एवं ऐसी अन्य इकाईयों को स्थापित करने का अधिकार है जिसकी आवश्यकता मानव अधिकार संरक्षण के लिए हो तद्नुसार परिषद ने 1946 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जिसे फरवरी 1946 में महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया, आयोग में 53 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के माध्यम से होगी। आयोग ने अपने पहले सत्र में ही विभेद के निवारण एवं अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए उपआयोग बनाया, प्रारूप समिति के माध्यम से सार्वभौमिक घोषणा पत्र प्रारूपित किया साथ ही 1966 में सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और 1967 में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को तैयार किया। आयोग ने 90 के दशक में सलाहकारी सेवा एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने और समाज के दुर्बल समूहों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई घोषणाएँ और अभिसमयों को तैयार करने में मदद के कार्य किए हैं।

मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएँ

मानवाधिकार आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल के प्रारूप पर विचार करते हुए एक ऐसे प्रसंविदा को तैयार करने का निश्चय किया, जो राज्यों पर विधिक रूप से बाध्यकारी हो, परिणामस्वरूप 3 जनवरी 1976 को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा एवं 23 मार्च 1976 को सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों की प्रसंविदा को लागू किया गया।

सिविल अधिकारों से तात्पर्य व्यक्ति के उन अधिकारों से है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित हो ताकि व्यक्ति स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जी सके जबकि राजनैतिक अधिकार में वे अधिकार आते है जो व्यक्ति को शासन में भागीदारी करने की स्वीकृति देते है जैसे मत देने या निर्वाचित होने का अधिकार।

सिविल और राजनैतिक अधिकार तब तक अर्थहीन है जब तक कि उनके साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को संबद्ध न किया जाये, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का संबंध मानव के लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकतायें उपलब्ध कराने से है। जहाँ सिविल और राजनैतिक अधिकारों में सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन क्रियाकलापों को नहीं करेगी जिससे इनका उल्लंघन हो वही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में राज्यों की ओर से सक्रिय हस्ताक्षेप की अपेक्षा की जाती है।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और प्रसंविदाओं में कुछ वैधानिक भिन्नता है अर्थात् घोषणा विधिक रूप से प्रवर्तनीय प्रपत्र या लिखित नहीं है जबकि प्रसंविदाएँ इन अधिकारों के बारे में एक विधिक बाध्यता डालती है और मानवाधिकार संरक्षण के लिए मशीनरी का प्रावधान करती हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त

20 दिसम्बर 1993 को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद, सभी व्यक्तियों को सिविल, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के प्रभावी उपभोग में अभिवृद्धि करने और उनका संरक्षण करने के लिए सृजित किया गया। सामान्यतः मानवाधिकारों के क्षेत्र में विशेषज्ञता तथा विभिनन संस्कृतियों की समझ वाले व्यक्ति को ही इस पद के योग्य माना जाता है ताकि मानव अधिकारों के उपभोग में अभिवृद्धि के साथ–साथ वह सभी सदस्य राष्ट्रों में मानव अधिकार की जनचेतना के प्रसार में भी वृद्धि कर सके।

सितम्बर 1997 को संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय और मानवाधिकार केन्द्र को सम्मिलित करके ''संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त'' की स्थापना की गई जो सीधे संयुक्त राष्ट्र महासचिव को मानवाधिकार संबंधी जानकारी एवं परामर्श प्रदान करता है।

मानव अधिकार 'हॉट लाइन'

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने 1994 में मानव अधिकार हॉट लाइन की स्थापना की है जो मानवाधिकार संबंधी आकस्मिक संकटों की जानकारी प्राप्त करने और उनके संरक्षण के उपाय करने से संबंधित है।

मानवाधिकार परिषद

15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प पारित कर मानव अधिकार परिषद का गठन किया गया जो मानव अधिकार आयोग का स्थान ग्रहण करेगी और महासभा के सहायक अंग के रूप में कार्य करेगी। यह परिषद मानवाधिकार संबंधी शिक्षा और जानकारी का प्रचार–प्रसार करने के साथ–साथ सलाहकारी सेवाएँ तथा तकनीकी सहयोग सदस्य राज्यों की सहमति से उपलब्ध कराएगी और मानवाधिकार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास के लिए महासभा को परामर्श देगी। इसका क्षेत्र व्यापक होगा यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं और क्षेत्रीय संगठनों के साथ निकट सहयोग से कार्य करेगी।

उपरोक्त संस्थाओं के साथ–साथ सुरक्षा परिषद, मानवीय, सामाजिक एवं सांस्कृति पर आधारित महासभा की तृतीय समिति, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, महिलाओं की प्रस्थिति पर आयोग, यूनिसेफ, बाल अधिकारों पर समिति, आदि अनेक इकाईयों और अधिनियमों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार की जागरूकता, प्रसार एवं संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

महिलाओं की स्थिति पर आयोग

संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं की स्थिति पर एक आयोग की स्थापना 1946 में की गई जिसका मुख्य उद्देश्य लैगिंक समानता को बढ़ाना एवं महिलाओं की स्थिति को उन्नत बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्य एवं सिफारिशें करना और सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में महिलाओं की उन्नति के लिए रिपोर्ट तैयार करना है। आयोग ने 1976 में महासभा द्वारा महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति हेतु अभिसमय को अंगीकार किया है तब से संयुक्त राष्ट्र लगातार महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु अनेक प्रयासों में संलग्न है।

मानवाधिकार संबंधी संधियाँ

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों के प्रोत्साहन एवं संरक्षण के लिए जो इकाईयाँ स्थापित की गई एवं जो कानून बनाए गए वे संयुक्त राष्ट्र की महान उपलब्धियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगभग 80 मानव अधिकार संबंधी संधियाँ एवं अधिनियम पारित किए गए जिनमें अनेक दुर्बल वर्ग जैसे–महिलाओं, बच्चों, अपाहिजों, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ये सभी संधियाँ और अधिनियम मानव अधिकारों की जागरूकता एवं मानव अधिकार संस्कृति को विकसित करने में सहायक है। जिनके द्वारा सदस्य राष्ट्रों में भी मानव अधिकार सुरक्षा पर अनेक कार्य किए गए।

कुछ क्षेत्रीय अभिसमय भी है जैसे– मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए यूरोपीय अभिसमय, मानवाधिकारों पर अमरीकी अभिसमय 1969, मानव अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर 1981। ये अभिसमय अपने–अपने क्षेत्रों में मानव अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक गैर सरकारी संस्थाएँ भी है जो मानव अधिकारों के उल्लंघन पर रिपोर्ट जारी करती है जैसे– रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-10* November- 2017
Innovation The Research Concept

समिति, विधि शास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय आयोग, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइटस, द पॉलिटिकल कमीशन ऑफ जस्टिस एण्ड पीस आदि। ये गैर सरकारी संगठन मानव अधिकारों के हनन संबंधी रिपोर्ट जारी कर विश्व का ध्यान इन घटनाओं की ओर आकृष्ट करती है। इस तरह हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण और उन्नयन के लिए वैधानिक राय तैयार करने और उसके बारे में अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए है।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में अब तक बहुत प्रभावी साबित नहीं हुआ है यू.एन. द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद भी मानवाधिकार हनन अभी भी कायम है। राजनैतिक हत्याएँ, धार्मिक उत्पीड़न, जाति संहार, नस्लवाद, आतंकवाद आदि ने व्यापक स्तर पर मानव के जीवन के अधिकार पर आघात किया है। मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण तब तक संभव नहीं जब तक कि इसके परिपालन के लिए कोई मजबूत एवं प्रभावकारी तंत्र विद्यमान न हो। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं किन्तु यू.एन. द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों का संरक्षण अनेक कारणों से कठिन समस्या बना हुआ है–

1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल राज्यों के लिए ही उपलब्ध होता है, न्यायालय के समक्ष व्यक्ति कोई भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी राज्यों की सहमति पर निर्भर करता है जिसमें मानव अधिकारों से संबंधित विवादों के लिए केवल कुछ राज्यों द्वारा ही स्वीकृति दी गई है क्योंकि चार्टर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा मानव अधिकारों का पालन करना राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी हो। यद्यपि मानव अधिकार अब अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय हो गया है लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि मानवाधिकार हनन होने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राष्ट्र विशेष में कार्यवाही का अधिकार होगा।
2. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दो प्रसंविदाएँ लागू की गई है– नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा एवं आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा। विकसित देश मानवाधिकार की दूसरी प्रसंविदा की तार्किकता एवं आदर्शों पर प्रश्नचिन्ह लगाते है। उनके अनुसार कुछ राज्य विशेषकर विकासशील और अल्पविकसित राष्ट्र में मानवाधिकार के संरक्षण की समस्या पूर्णतया भिन्न है। ये राष्ट्र अपनी कमजोरी, आर्थिक स्थिति के कारण अपनी जनसंख्या के जीवपन की मूल आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहे है। ऐसी स्थिति में राज्य अपनी जनसंख्या को सिविल एवं राजनैतिक अधिकार कैसे प्रदान कर सकता है जबकि यहाँ जनसंख्या को भोजन आवास एवं वस्त्र की उपलब्धता नहीं है?

   आलोचकों का मानना है कि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार मैलिक रूप से नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार से भिन्न है। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार को सकारात्मक, गहन संसाधन, गतिशील, आदर्शवादी एवं समाजवादी कहा गया है जबकि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को नकारात्मक, महत्वहीन एवं संक्षिप्त माना जाता है।
3. मानव अधिकारों के पालन में संप्रभुता की संकल्पना एक बड़ी बाधा है जिसके कारण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर मानव अधिकार संरक्षण के प्रयास प्रायः कमजोर हो जाते हैं। विकसित और विकासशील देशों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में भिन्नता भी मानव अधिकारों की स्वीकारोक्ति और उसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक है।
4. इस्लाम बहुल देशों (इरान, ईराक, सूडान, अरब) में मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र की पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक संदर्भ में सहज असफलता पर आलोचना की है। इस्लामिक देश मानवाधिकार पर पश्चिम की दोहरी नीति की भी अलोचना करते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में अब तक बहुत प्रभावी साबित नहीं था। मानवाधिकारों के उन्नयन और पालन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए गए बहुविध कदमों के बावजूद भी उसका अतिक्रमण अब भी कायम है राजनैतिक हत्यायें, धार्मिक उत्पीड़न, नस्लवाल, जाति संहार, बढ़ता हुआ आतंकवाद, यौन उत्पीड़न, बालश्रम इत्यादि विश्व के विभिन्न भागों में घटित हो रहे हैं ऐसी बहुत सी समस्याएँ है जो मानवाधिकार सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र को कमजोर बनाती हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरियाँ

मानव अधिकार आज वैश्विक चिंता का महत्वपूर्ण विषय है, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार विधि विश्व के समस्त राष्ट्रों से अपेक्षा करती है कि वे अपने नागरिकों के साथ इस प्रकार का क्रूर व्यवहार न करे जिससे मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो। यद्यपि राष्ट्र प्रभुत्व सम्पन्न होते है किन्तु उनके ऊपर मानवाधिकार विधि द्वारा यह दायित्व आरोपित किया गया है कि वे मानव की गरिमा बनाये रखे तथा नागरिकों के विरूद्ध क्रूर और अमानवीय व्यवहार न करे।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जो किसी राज्य की घरेलू अधिकारिता के अंतर्गत आते है लेकिन यदि ऐसे अधिकारों के उल्लंघन से ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो तो सुरक्षा परिषद ऐसे राज्यों के विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है किन्तु संयुक्त राष्ट्र द्वारा घरेलू मामलों में बहुत ही कम अवसरों पर हस्ताक्षेप किया जाता है। इस तरह राज्य क्षेत्रीय प्रभुत्व सम्पन्नता का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संरक्षण की शक्तियों को सीमित कर देता है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की अवधारणा को आतंकवाद के संदर्भ में गंभीरता से नहीं लिया गया है यद्यपि 1972 से ही निर्दोष लोगों के जीवन के लिए खतरा और उनके प्राण लेने वाले अथवा मूलभूत स्वत्रंताओं को संकट में डालने वाले आतंकवाद को समाप्त करने के उपायों पर विचार करना प्रारंभ कर दिया गया था लेकिन

आलोच्य प्रश्न यह है कि क्या आतंकवादियों को मानवाधिकार दिए जाने चाहिए? इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के दो अभिमत है, पहला मत है कि मानवाधिकार सभी मानव प्राणियों में अंतर्निहित होते है जो उन्हें जन्म से प्राप्त होते हैं अनुच्छेद 2 के अनुसार सभी व्यक्ति घोषणा में उल्लेखित सभी अधिकारों को बिना किसी भेदभाव के धारण करेंगे। इस तरह किसी भी व्यक्ति को उनके मूल अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

दूसरा मत है कि आतंकवादी अन्य व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते है अतः उन्हें कोई मानवाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की राजनैतिक सहानुभूति न रखते हुए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। आतंकवादी कृत्यों को करने वाले लोग अन्य व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते है इसलिए वे स्वयं के मानवाधिकार से वंचित हो जाते हैं। लेकिन विभिन्न राष्ट्रों में एकमतता न होने के कारण, न केवल आतंकवाद को परिभाषित करने में बल्कि उसके उन्मूलन के लिए ठोस प्रयास करने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्था जो कि राष्ट्रों की आपसी सहमति का परिणाम है के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण नहीं किया जा सका है दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी महाशक्तियों की मनमानी को रोकने या उन पर दंडात्मक कार्यवाही करने में पुर्णतः सक्षम नहीं है। ऐसे में अलकायदा द्वारा अमरीका पर आक्रमण करना जहाँ मानवाधिकारों का हनन है वहीं अमरीका द्वारा आतंकवाद समाप्ति के उद्देश्य से अफगानिस्तान के निर्दोष जनमानस को युद्ध की विभिषिका में झोंकना, क्या मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है?

ये सभी बातें मानव अधिकार के संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरियों को स्पष्ट करती है लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि आज संयुक्त राष्ट्र महाशक्तियों पर सीधे कार्यवाही करने में भले ही कमजोर हो लेकिन एक ऐसा मंच जरूर प्रदान करता है जहाँ अन्य राष्ट्र आक्रमणकारी राष्ट्र के विरूद्ध आलोचना करने या अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के विषयों पर चर्चा कर समाधान निकालने के कार्य करवाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न इकाईयाँ महासभा, सुरक्षा परिषद एवं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सुरक्षा के कार्य एवं जागरूकता अभियान संचालित किए जाते है। संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से ही वैश्विक समाज में परस्पर निर्भरता एवं सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को बल प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में निष्ठा होने के कारण सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा मानवाधिकार आयोगों का गठन एवं मानव अधिकार संरक्षण पर जन चेतना के प्रयास किए गए हैं।

निष्कर्ष

यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजनों के रूप में मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन उसके अन्य प्रयोजनों पर आश्रित है। मानव अधिकार के उन्नयन के विषय में प्रगति को संयुक्त राष्ट्र के इन प्रयोजनों, सभी को समानता, सुरक्षा, कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सिद्धि पर ही बढ़ाया जा सकता है। ''यदि शांति को कायम रखा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रों को अपने भाग का आप निर्माण करने दिया जाता है, राष्ट्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास में वे राष्ट्र सहायता करते है, जिनके पास अधिक है तब प्रत्येक मानव प्राणी के अधिकार को फलने–फूलने का अवसर होगा और तब संयुक्त राष्ट्र इन अधिकारों को बढ़ाने की प्रक्रिया को गति देने में इन अधिकारों को महत्वपूर्ण बनाने में एक भूमिका अदा कर सकेगा।''

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *डॉ. अग्रवाल, एच.ओ. – अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2010, पृ. 634–635*
2. *राजकिशोर आज के प्रश्न – मानव अधिकारों का संघर्ष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995*
3. *डॉ. त्रिपाठी, टी.पी. – मानव अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि, इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2004*
4. *जे.एन. सक्सेना : इंटरनेशनल टेरिरिज्म स्टेट टेरर एण्ड ह्यूमन राइटस इन टेरिरिज्म एण्ड इंटरनेशनल 'लाज', आर.पी. ठकोलिया एवं के. नारायण राव, 1988 द्वारा संपादित, पृ46*
5. *मानव अधिकार : नईं दिशाए वार्षिक अंक 4 2007 प्रकाशक – राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली 110001 शरत .*
6. *Kashyap, Subhash C.: Human Rights and Parliament, New Delhi, Metropolitan Book, 1978.*
7. *Artical : Human Rights in the United Nations, The Achievement so for and Challenges Ahead written by Jose Agala Losso.*
8. *Nancy Flouers: Human Rights here and Now - Celebrating the Universal Declaration of H.R.*
9. *www.un.org/en/sections/.../human rights*
10. *www.un.org/en/..../protect human rights*
11. *https://www.unicef.org/..../index_30198*